[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 21/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 13 00 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 अप्रैल, 2016, जिसे सा.का.नि. 423 (अ), दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/29/2020--डीजीटीआर, दिनांक 31 अगस्त, 2020 जिसे दिनांक 31 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों, जिसे की अधिसूचना संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती जा रही है और यदि यह शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो बहुत कम कीमत पर इसका भारत के बाजार में आयात होने लगेगा;
(ii) यदि यह शुल्क समाप्त हो जाता है तो यहां क्षति होने की काफी संभावना है;
(iii) रिकार्ड में मौजूद जानकारी से यह पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसा फालतू आयात जारी रहेगा और इस प्रकार की क्षति होती रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ समेत कोई भी देश	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैसर्स पेट्रॉनास केमिकल्स डेरीवेटिवस एसडीएन बीएचडी	51.42	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

4.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैसर्स बीएएसएफ पेट्रॉनास केमिकल्स एडीएन. बीएचडी	26.59	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	149.31	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	149.31	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	सिंगापुर	सिंगापुर समेत कोई भी देश	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका समेत कोई भी देश	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	29051300	नार्मल बूटानोल	विषयगत देशों से	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	भिन्न कोई भी देश					
11.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कोई भी देश	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	29051300	नार्मल बूटानोल अथवा एन-ब्यूटाइल एल्कोहल	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/262/2015-टीआरयू (पार्ट-I)]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार